## | । कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा (राज.)।। (Nayapura, Civil Lines Kota Tel / Fax No. 0744-2322747 Email ID-def,kota,forest@rajasthan.gov.in)

प्रस्ताव का नाम

-Navnera Barrage across River Kalisindh Near village Abra Tehsil Digod Distt Kota ,

युजर एजेंसी का नाम

- Executive Engneer WR Div Kota

प्रत्यावर्तित वनक्षेत्र

-580.938 हे0

प्रस्ताव जिला एवं वन मण्डल

- Kota District and Kota Division

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण संख्या — FP/RJ/IRRIG/35905/2018 03.10.2020

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर का पत्रांक F 14 ( )2020/TRANS/FCA/PCCF/ EDS-4 दिनांक 22.07.2020 में परीक्षण उपरांत बिन्दुवार लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार कर दी गई है।

बिन्दु	आक्षेप	प्रतिउत्तर -
सं	•	
1	Seal and signature on DGPS map of DCF is not given in both BARAN and KOTA division in online proposal.	उप वन संरक्षक (प्रादेशिक) कोटा के DGPS map पर Seal and signature करवाकर ऑन लाईन का दिया गया है।
2	Seal and signature on TOPO sheet is not given in both divisions in online proposal.	उप वन संरक्षक (प्रादेशिक) कोटा की TOPO sheet ऑन लाईन कर दी गयी है।
3	Gazette notification copies are not given in online proposal and in hard copy of the proposal in both the divisions.	Gazette notification copies ऑन लाईन कर, हार्ड कॉपी proposal के साथ संलग्न कर दी गयी है।
4	Calculation of amount of NPV in words for Kota division is incorrect.	Calculation of amount of NPV in words correct कर ऑन लाईन कर, हार्ड कॉपी संलग्न कर दी गयी है।
5	CA scheme given for NFL and DFL lands by KQTA division are in higher side and justified. These should be rectified as per prvailing models.	यूजर एजेंसी द्वारा CA हेतु जो Non Forest Land (NFL) भूमि उपलब्ध करवायी जा रही है, वह पहले से वनाच्छादित है, उसके बदले भारत सरकार के परिपत्र F.No. 11-423/2011-FC dated 20 April 2019 अनुसार जो Degraded forest land (DFL) विभाग के पास उपलब्ध है, वह मृदारित चट्टानी क्षेत्र ही है। मृदायुक्त भूमि प्लांटेशन हेतु उपलब्ध नहीं है। ऐसे पठारी क्षेत्र में पूर्व में प्रचलित CA मॉडल अनुसार सफलतापूर्वक करवाया जाना संभव नहीं है। CA वृक्षारोपण करवाने के पश्चात सफलतापूर्वक नग्न पठारी भूमि पर जंगल खड़ा करना तब ही संभव होगा जब संलग्न प्रस्तावित CA मॉडल के अनुरूप राशि स्वीकृत होती है। अन्यथा CA वृक्षारोपण असफल होना सुनिश्चित है। CA के अपेक्षानुरूप सफलता नहीं मिलने पर विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा प्रचलित DFL मॉडल से उक्त साईट पर वृक्षारोपण करवाए जाने पर, व्यय की गई राशि wasteful expenditure होने की पूर्ण संभावना है। अतः जो मॉडल CA Scheme में प्रस्तावित किया गया है, वह तकनिकी रूप से उचित है। पूर्व में संलग्न कर दिये गये हैं। ANNEXURE A, B

उप वन शरंक्षक कोटा

585

## OFFICE OF THE DY. CONSERVATOR OF FOREST, KOTA

Full Title of Project: NAVNERA BARRAGE ACROSS RIVER KALISINDH NEAR VILLAGE ABRA TEHSIL DIGOD, DIST. KOTA PROJECT (RAJ)

Forest Area required for diversion: -580.938 ha

## **DETAILS OF AMOUNT OF NPV TO BE DEPOSITED**

As per the order dated 05-02-2009 MoEF & CC Government of India Rates For NPV ECO CLASS (3) is Rs. 8,87,000 /- Ha. the Total NPV amount for proposed diversion of forest land for development of NAVNERA BARRAGE ACROSS RIVER KALISINDH NEAR VILLAGE ABRA TEHSIL DIGOD, DIST. KOTA PROJECT (RAJ) Forest proposal No.:- FP/RJ/IRRIG/35905/2018 The Total Amount of NPV is 580.938 Ha. x 8,87,000/- = Rs.51,52,92,006/-(Fifty-one million fifty two Lakh ninety two thousand Six Rupees only)

lace: Kota

ate: 10 8 2020

Name

Designation

Orticial Seal

(Signature)

Det, Kota

उप वन संस्थात